

सभी प्रकार का पत्राचार भारत सरकार को संबंधित किया जाना चाहिए जिसका शीर्षक उद्योग मंत्रालय होना चाहिए न कि किसी के नाम से।

अनुलग्नक - ख

सं.09(2)2012-डीबीए-II/उपूक्षे

भारत सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

उद्योग भवन नई दिल्ली-110011

दिनांक 25 फरवरी, 2013

सेवा,

प्रधान सचिव (उद्योग) / आयुक्त / सचिव (उद्योग)

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकार।

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 की केंद्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना के तहत राजसहायता के लिए संयंत्र और मशीनरी के घटकों की पात्रता।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 27.7.2007 की अधिसूचना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके तहत इस विभाग द्वारा केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना (सीसीईएसएस) 2007 के तहत राजसहायता के लिए संयंत्र एवं मशीनरी (पी एण्ड एम) के घटक परिभाषित किए गए थे। इसके बाद, दिनांक 02.11.2012 के पत्र संख्या 10(3)/2011-डीबीए-II/उपूक्षे के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जिस वित्तीय संस्थान ने परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है, के आधार पर मशीनरी और संयंत्र की गणना मूल्यांकन रिपोर्ट में की जाए। 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर की राजसहायता के दावे के कई मामलों को सीसीआईएसएस पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया है। इस समिति ने यूनिट को अनुदान देने के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की और पाया है कि विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य सरकार, वित्तीय संस्थान और एनईडीएफआई पी एंड एम के मूल्य की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचाराधीन मामलों में भिन्नता को सारणीबद्ध किया गया है और अनुबंध-क में संलग्न है।

2. उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने काफी हद तक सीमेंट संयंत्रों के लिए राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री (एनसीसीबीएम) और स्टील रोलिंग मिलों के लिए राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी) सहित की रिपोर्ट पर भरोसा किया है जो वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए पीएंडएम के मूल्य पर तकनीकी एजेंसियों की सलाह के अधीन है।

230042/2020/डीबीए-II/उपूक्षे

3. उच्चाधिकार प्राप्त समिति की हालिया बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों और एनईडीएफआई ने अनुरोध किया है कि तकनीकी एजेंसियों द्वारा संयंत्र और मशीनरी की परिभाषा में शामिल करने के लिए सुझाई गई मदों की सूची और संयंत्र और मशीनरी का मूल्य तय करने के लिए अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को संसूचित किया जाए ताकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा पीएंडएम के मूल्यांकन में एकरूपता लाई जा सके।

(क) निर्माण की लागत का आकलन करते समय, उत्पादक मशीनरी को उसके कार्यस्थल पर रखने और ठीक करने की लागत को सीसीआईएसएस के तहत राजसहायता के पात्र घटक माना जाता है। सीसीआईएसएस के उद्देश्य से सिविल संरचनाओं को उपरोक्त के अलावा पी एवं एम के योग्य घटक के रूप में नहीं माना जाता है।

(ख) जबकि विविध अचल संपत्तियों सीसीआईएसएस के तहत राजसहायता के लिए पी एवं एम के पात्र घटक नहीं हैं, हालांकि, संयंत्र संचालन के लिए आवश्यक विद्युत घटक, जो उस बिंदु से जहां विद्युत मीटर लगाया जाता है, प्लांट से जोड़ा जाता है, जहां तैयार माल का उत्पादन किया जाता है / प्रेषण और विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़े हैं, सीसीआईएसएस के प्रयोजनों के लिए पी एवं एम के पात्र घटक के रूप में माने जाते हैं।

(ग) सीसीआईएसएस के तहत राजसहायता के उद्देश्य के लिए पीएंडएम के मूल्य का आकलन करते समय पी एंड एम के जिन घटकों के लिए औद्योगिक इकाई द्वारा नकद में भुगतान किया है, ऐसे घटकों पर विचार नहीं किया जाता है।

4. योजना की अधिसूचना में प्रदान की गई पी एंड एम की परिभाषा, तत्पश्चात तकनीकी एजेंसियों के स्पष्टीकरण और की गई सिफारिशों के आधार पर पी एंड एम के पात्र और अपात्र घटकों की व्यापक सूची अनुलग्नक-ख में संलग्न है। इसके अलावा, सीमेंट प्लांट्स और स्टील रोलिंग मिल्स के संबंध में सीसीआईएसएस के उद्देश्य के लिए पी एवं एम के पात्र और अपात्र घटकों की विस्तृत सूची क्रमशः अनुलग्नक-ग और अनुलग्नक-घ पर संलग्न हैं।

इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि सात दिनों के भीतर अवश्य करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: नंबर 011- 23063096

प्रति:

1. सचिव, उपूक्षे विकास मंत्रालय, विज्ञान भवन सौंध, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली।

## 230042/2020/डीबीए-II/उपूक्षे

3. सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
4. उद्योग निदेशालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकार
5. सीएमडी, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड, एनईडीएफआई हाउस, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी,
6. अध्यक्ष, एफआईईआर, गुवाहाटी, शहीद दिलीप चक्रवर्ती आरजी बरुआ रोड, गुवाहाटी- 781,005, असम।
7. उप महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी), भारतीय उद्योग परिसंघ, कोर 4 ए, चौथी मंजिल, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003

### प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

1. एसआईपीपी महोदय के निजी सचिव
2. अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार महोदय के निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (एस.एस) महोदय के निजी सचिव
4. सीसीए महोदय के निजी सचिव
5. निदेशक (एकीकृत वित्त विंग) के निजी सचिव
6. महानिदेशक, एनसीसीबीएम
7. निदेशक, एनआईएसएसटी

केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्धारित और  
मशीनरी का मूल्य

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	यूनिट का नाम	वित्तीय संस्थान	जिला उद्योग केन्द्र	राज्य स्तरीय समिति	उच्चाधिकार समिति
1.	मै. जेयूडी सीमेन्ट लि. मेघालय	81.22	147.5147	147.5147	81.72
2.	मै. ब्रह्मपुत्र रोलिंग मिल्स, असम	15.73	26.8947	17.2837	17.2837
3.	मै. गृहशक्ति प्रा.लि, असम	4.6621	5.4734	5.4734	5.4734
4.	मै.नोर्थ ईस्ट रुफिंग प्रा.लि, असम	12.7335	15.9142	10.8363	10.8363
5.	मै.सत्यम इस्पात नोर्थ ईस्ट प्रा.लि., अरुणाचल प्रदेश	19.74	38.4552	31.7291	20.5225
6.	मै.वर्गो सीमेन्ट लिमिटेड, मेघालय	18.29	40.0293	40.0293	15.1737
7.	मै. ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेघालय	94.45	174.7483	174.7483	94.62
8.	मै.आधुनिक सीमेन्ट लिमिटेड, मेघालय	288.38	526.6424	526.6424	286.991

**क. सीसीआईएस 2007 के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना के लिए शामिल किए जाने वाले घटक:**

- i. औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी की लागत जिसमें कर और शुल्क शामिल हैं यानी विनिर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उत्पादन उपकरणों की लागत।
- ii. उत्पादक उपकरण की लागत जैसे उपकरण, जिग्स, डाई और मोल्ड, बीमा प्रीमियम आदि करों और शास्तियों सहित।
- iii. प्लांट की ओर प्लांट संचालन के लिए आवश्यक विद्युत घटक जहां से मीटर को उस बिंदु तक स्थापित किया जाता है जहां तैयार माल का उत्पादन / डिस्पैच किया जाना है (यानी एचटी मोटर्स, एलटी मोटर्स, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर, रिले, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल बोर्ड, स्विचगियर्स) ।
- iv. आपूर्तिकर्ता के परिसर से यूनिट के स्थान पर प्लांट और मशीनरी और उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया माल भाड़ा ।
- v. भुगतान किया गया ट्रांजिट बीमा प्रीमियम ।
- vi. माल वाहक में निवेश की गई मात्रा की सीमा वास्तविक उपयोग किए गए कच्चे माल के परिवहन और तैयार उत्पादों के विपणन तक है।

**ख. सीसीआईएस 2007 के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना के लिए निम्नलिखित घटकों पर विचार नहीं किया जाएगा:**

- i. लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क
- ii. संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड / भवन।
- iii. उपर्युक्त क (iii) के अतिरिक्त विविध अचल संपत्तियां जैसे डीओ सेट, उत्खनन / खनन उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, विद्युत घटक।
- iv कच्चे माल और अन्य उपभोज्य स्टोर सहित कार्यशील पूंजी।
- v. कमीशनिंग लागत
- vi. कैप्टिव पावर प्लांट
- vii. भंडारण उपकरण
- viii. वेग ब्रिज, प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण

**ग. इरेक्शन और इंस्टालेशन शुल्क की स्वीकार्यता।**

निर्माण और स्थापना शुल्क वास्तविक आधार पर देय होंगे और यह औद्योगिक इकाई को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थानों के मूल्यांकन नोट में दर्शाई गई लागत तक ही सीमित रहेगा ।

**एक आदर्श सीमेंट प्लांट के लिए संयंत्र और मशीनरी**

**क. चूना पत्थर क्रशिंग सेक्शन**

1. चूना पत्थर क्रशिंग
2. सभी क्रशिंग सहायक उपकरण जैसे चूना पत्थर हॉपर से नीचे के फीडर, बेल्ट कन्वेयर, धूल रोधक उपकरण जैसे साईकलोन और बैग फिल्टर, स्क्रीन आदि ।
3. लाईमस्टोन स्टेकर और बेल्ट कन्वेयर के साथ रिकलेमर, योजक क्रशर और राँ मिल हॉपर तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए बेल्ट कन्वेयर (आवश्यकतानुसार)

**ख. कच्चा माल पिसाई सेक्शन**

1. राँ मिल (बॉल मिल) / वीआरएम / रोलर प्रेस और बॉल मिल)
2. हॉपर, सेपरेटर, पंखे, बाल्टी एलेवेटर, रोटरी एयर लॉक, एयर स्लाइड, मैग्नेटिक सेपरेटर, मेटल डिटेक्टर, एफके पंप, फ्लक्सो पंप, साईकलोन, बैग फिल्टर, बैग हाउस / ईएसपी के साथ पंखे (भट्ठा और चक्की के लिए समान) जैसे राँ मिल के उपकरण आदि।

**ग. कच्चे माल की निकासी / भट्ठा फ़ीड सेक्शन**

1. कच्ची मिल कोठरी, सॉलिड फ्लो मीटर से पहले और बाद में ब्लोअर के साथ सभी स्लाइड।
2. भट्ठा फ़ीड बाल्टी लिफ्ट / एयरलिफ्ट

**घ. पायरो प्रसंस्करण सेक्शन**

1. प्री-हीटर साईकलोन और कैल्सेनर के साथ रोटरी हीटर ।
2. सभी सहायक उपकरण जैसे कि प्रीहीटर फैन, शेल कूलिंग फैन, ब्लोअर, कोन डक्ट और गर्म गैसों को ले जाने के लिए अन्य नलिकाएं , ताज़ी हवा के डम्पर आदि।
3. बर्नर के लिए भट्ठा और कैल्सिनर, गैस विश्लेषक, तापमान और दबाव मापने के उपकरण आदि।
4. क्लिंकर कूलर।
5. सभी शीतलक उपकरण जैसे शीतलन पंखे, ईएसपी और ईएसपी प्रशंसक, क्लिंकर क्रशर आदि।
6. डीप पैन कन्वेयर (डीपीसी) जैसे क्लिंकर कन्वेयर उपकरण
7. सभी क्रशरों के साथ कोयला क्रशर जैसे बैग फिल्टर, बेल्ट कन्वेक्टर आदि।
8. कोयला के लिए बेल्ट कन्वेयर फीडर सहित कोयले के लिए स्टेकर और रिकलेमर
9. कोयला / पेटोक / लिग्नाइट / वैकल्पिक ईंधन के लिए ईंधन पीसन मिल (बॉल मिल्ली वीआरएम)
10. सभी कोल मिल / फ्यूल ग्राइंडिंग मिल ऑक्जिलरीज जिसमें वेट फीडर के नीचे कच्चा कोयला हॉपर, सेपरेटर, बकेट एलेवेटर, रोटरी एयरलॉक, एयर स्लाइड्स, बैग हाउस, हग हाउस फैन, बूस्टर फैन, बेल्ट कन्वेक्टर और स्कू कन्वर्टर, इनटर्टिसिएशन सिस्टम आदि शामिल हैं। इसमें अन्य ईंधन/वैकल्पिक ईंधन प्रणालियां भी शामिल हैं।

**ड. सीमेंट पीसाई अनुभाग**

1. सीमेंट मिल (बॉल मिल / वीआरएम / रोलर प्रेस और बॉल मिल)
2. हॉपर, सेपरेटर, बकेट एलेवेटर, रोटरी एअरलॉक, एयर स्लाइड्स, एफके पंप, फ्लक्सो पंप, सॉलिड फ्लो मीटर, बैग हाउस, बैग हाउस फैन, कन्वेयर, सिलो / स्टॉकपाइल के नीचे मटेरियल एक्सट्रैक्शन गेट, जिप्सम क्रशर मिल, वेट फीडर स्लैग आदि के लिए फ्लाइंशी मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम के लिए वायवीय हैंडलिंग सिस्टम।

**च. पकिंग अनुभाग**

1. पैकर और उसके सहायक उपकरण जैसे बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट डायवर्टर, बाल्टी एलेवेटर, स्क्रीन आदि।
2. ट्रक लोडर और वैगन लोडर (यदि लागू हो), थोक लोडिंग और पैकेजिंग व्यवस्था।

**छ. अन्य**

1. ब्लोअर, पंप्स, कम्प्रेसर आदि।
2. बेल्ट कोवियर्स (सभी वर्गों के लिए)
3. पंखों के साथ डी-डस्टिंग बैग फिल्टर (स्थानांतरण बिंदुओं के पार)।
4. सैंपलर
5. हॉट एयर जेनरेटर यदि कोई हो
6. प्लांट ऑपरेशन (प्लांट पीएलसी) के लिए सॉफ्टवेयर के साथ इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन उपकरण जिसमें एचटी एवं एलटी मोटर्स, डीसी मोटर्स, थायरिस्टर पैनल्स, एसपीआरएस सिस्टम, कैपेसिटर आदि शामिल हैं।
7. सभी मशीनरी / उपकरण के लिए फाउंडेशन।

**ज. निषेध: -**

1. कार्यशाला के उपकरण
2. प्रयोगशाला के उपकरण
3. ऊपर छ (6) में वर्णित वस्तुओं के अलावा अन्य बिजली वितरण के उपकरण
4. पानी की आपूर्ति के लिए उपकरण
5. अग्नि शमन यंत्र
6. खनन मशीनरी
7. प्लांट / कैप्टिव पावर प्लांट के लिए डीजी सेट्स
8. वेट ब्रिज, रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव, ट्रक ट्रिपलर आदि।
9. प्लांट बिल्डिंग (जैसे क्रशर बिल्डिंग, मिल हाउस आदि), सहायक भवन (जैसे एमसीसी कक्ष, कंप्रेसर कक्ष आदि) और गैर संयंत्र भवन (जैसे स्टोर, प्रशासनिक भवन, कैंटीन आदि)
10. भंडारण भवन जैसे साइलो, हॉपर, स्टॉकपाइल्स।

**स्टील और एक रोलिंग मिल के लिए संयंत्र और मशीनरी (अनुभाग वार)**

**क. विगलन अनुभाग**

1. अधिष्ठापन फर्नेस और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सभी विद्युत प्रतिष्ठापन, गैजेट्स, कंट्रोल पैनल, मीटर, केबल, बसबार, आपातकालीन जल प्रणाली, मुख्य जल शीतलन प्रणाली आदि के साथ।
2. ढलाई अनुभाग: सीडियां, ऑयल बर्नर, गैस प्यूरिंग सिस्टम, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, यदि कोई हो, वैक्यूम डिसाइडिंग यूनिट, यदि कोई हो, मोटर के साथ निरंतर ढलाई इकाई, पंप, निकासी सिस्टम, डीएम वाटर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कन्वेयर बेल्ट आदि के साथ ।
3. सहायक उपकरण और क्रेन।
4. कार्यशाला की मशीनें
5. विद्युत उपकरण (एचटी मोटर, एलटी मोटर, स्विच बोर्ड, कैपेसिटर, रिले सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, स्विच गियर्स)।
6. साइट निर्माण

**ख. रोलिंग मिल्स**

1. आरएचएफ (री-हीटिंग फर्नेस) - शीट्स, रिफ्रेक्टरी, पुशर मोटर्स, बर्नर, चिमनी, रिकुपरेटर, एपीसीडी आदि सहित प्लांट और मशीनरी में परिभाषित सभी उपकरण ।
2. मोटर्स, रिपीटर्स (यदि कोई हो), मशीनीकरण (यदि कोई हो) सहित रफिंग स्टैंड, बीयरिंग, शीतलन प्रणाली आदि जिन्हें प्लांट और मशीनरी के रूप में परिभाषित किया गया है।
3. इंटरमीडिएट स्टैंड (ऊपर वर्णित अनुसार)
4. फिनिशिंग स्टैंड (ऊपर वर्णित अनुसार)
5. शमन प्रणाली (टीएमटी के लिए)
6. शियर्स, पिंच रोल
7. कूलिंग बेड सिस्टम
8. क्रेन
9. कार्यशाला मशीनें (खराद, शापेरे, ड्रिल, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, टेम्प्लेट, मापक उपकरण जैसे स्क्रू गोज, वर्नियर आदि)
10. सहायक उपकरण (प्लांट मशीनरी के रूप में शामिल)
11. विद्युत उपकरण (करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, मोटर्स, रिक्टर, रिले पैनल, स्विच गियर, स्टार्टर, डिजिटल मीटर, आदि)
12. अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण (रोलिंग मिल्स में भट्ठी क्षेत्र में गर्म धातु के परिवहन के लिए) (कन्वेयर जो मशीनीकरण/ स्वचालन, श्रृंखला की ओर ले जाता है, पुली ब्लॉक आदि)
13. जल प्रणाली उपकरण और टावर (धातु संदूषण, तेल, ग्रीस, आदि हटाने के लिए पानी की टंकियां) डीएम पानी संयंत्र, यदि कोई हो। जल पंप इकाइयां, जल शीतलक शक्ति / प्रणाली आदि
14. वितरण के लिए पाइपलाइन सहित कोयला पुलवराइज़र प्रणाली
15. साइट निर्माण



सभी प्रकार का पत्राचार भारत सरकार को संबंधित किया जाना चाहिए जिसका शीर्षक उद्योग मंत्रालय होना चाहिए न कि किसी के नाम से।

**अनुलग्नक -ग**

स्पीड पोस्ट/ तत्काल  
सं.10(3)2011-डीबीए-II/उपूक्षे  
भारत सरकार  
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
उद्योग भवन नई दिल्ली-110011  
दिनांक: 2 नवम्बर, 2012

सेवा,

सचिव / आयुक्त / सचिव (उद्योग)

उद्योग विभाग,

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सरकार।

विषय: उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 की केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना के लिए सामान्य प्रचालन दिशा निर्देश।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ, अब यह निर्णय लिया गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति / केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करते समय राज्य सरकार वित्तीय एजेन्सियों द्वारा अनुशंसित की गई संयंत्र और मशीनरी की लागत, कुल परियोजना लागत, संयंत्र और मशीनरी के योग्य मूल्य के संबंध में विवरण भी प्रस्तुत करें, जैसा कि अनुबंध -1 में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार एसएलसी द्वारा अनुशंसित है।

2. राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकित पीएंडएम के आइटम / घटकों की सूची को भी अग्रेषित करें जिसमें एसएलसी द्वारा एनईआईआईपीपी 2007 के तहत केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र माने जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के आइटम / घटकों की इकाई की सहायता के लिए वित्तीय सहायता संस्थान द्वारा दी गई है। यदि वित्तीय संस्था के मूल्यांकन रिपोर्ट से कोई विचलन होता है, तो अनुबंध -II में प्रोफार्मा के अनुसार इसके कारणों को भी दर्ज किया जाना चाहिए।

3. राज्य सरकार द्वारा इसी तरह की कवायद सीसीआईएस के संबंध में 1.50 करोड़ रुपये तक के मूल्य के दावों के लिए भी की जा सकती है।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन 2306 3096

230042/2020/डीबीए-II/उपूक्षे

**सीसीआईएसएस, 2007 के तहत राजसहायता के दावों के लिए आयोजित एसएलसी की बढक के कार्यवृत्त के साथ डीआईपीपी को भरकर प्रेषित किया जाने वाला प्रोफार्मा**

(वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयों के लिए )			(रुपये लाखों में)			
क्र. सं	इकाई का नाम	वित्तीय संस्थान(ओं) का नाम	वित्तीय संस्थान(ओं) द्वारा अनुशंसित लागत		एसएलसी द्वारा अनुशंसित कारखाने एवं मशीनरी की योग्य लागत	एसएलसी द्वारा अनुशंसित कारखाने एवं मशीनरी की राजसहायता योग्य लागत
			कारखाने एवं मशीनरी की लागत	प्रोजेक्ट की कुल लागत		

(स्व-वित्त पोषित इकाइयों के लिए )			(रुपये लाखों में)			
क्र. सं	इकाई का नाम	स्वतंत्र ऐजेन्सी का नाम जिससे निवेश लागत अनुशंसित करवाई गई है ।	वित्तीय संस्थान(ओं) द्वारा अनुशंसित लागत		एसएलसी द्वारा अनुशंसित कारखाने एवं मशीनरी की योग्य लागत	एसएलसी द्वारा अनुशंसित कारखाने एवं मशीनरी की राजसहायता योग्य लागत
			कारखाने एवं मशीनरी की लागत	प्रोजेक्ट की कुल लागत		

230042/2020/डीबीए-II/उपूक्षे

**अनुलग्नक - II**

(दिनांक \_\_\_\_\_ को राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुलग्नक \_\_\_\_\_)

सीसीआईएसएस, 2007 के तहत एसएलसी द्वारा राजसहायता प्राप्त करने के योग्य माने जाने वाले कारखाने एवं मशीन (पी एवं एम) की वस्तुओं/उपकरणों का विस्तृत विवरण।

इकाई का नाम

नई इकाई/ विस्तार के लिए मौजूदा इकाई -

क्र. सं	प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थान(ओं) द्वारा अनुशंसित/ स्वतंत्र एजेन्सी (यदि इकाई स्व-वित्त पोषित है)		एसएलसी द्वारा सीसीआईएसएस, 2007 के तहत राजसहायता के लिए योग्य मानने के अनुसार		
	कारखाने एवं मशीनरी के उपकरण/वस्तुएं	लागत (रु.लाखों में)	कारखाने एवं मशीनरी के उपकरण/वस्तुएं	लागत (रु.लाखों में)	यदि वित्तीय संस्थान की रिपोर्ट में कोई विचलन हो तो इसका कारण
	कुल				